






फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

मेन्टोर होम लोन्स इण्डिया बनाम श्रीराम स्काई लाईन

प्रकरण संख्या 272/2021 ( धारा 14 सिक्वोरिटार्डिजेशन एक्ट )

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही        | आज्ञा का विस्तृत रूप  | विशेष विवरण  |
|----------------------------------|---|--|
| 09.12.2021                       | <p>प्रार्थी वित्तीय संस्था-बैंक ने सरफेशी अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्थान-बैंक के पक्ष में बन्धक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस ईमदाद उपलब्ध कराने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया है। न्यायहित में अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड सूचना पत्र जारी किया जाकर पत्रावली दिनांक 20.12.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> <br/> <b>जिला मजिस्ट्रेट</b><br/> <b>(कलक्टर) जयपुर</b> </p> |  |
| 20 <sup>12</sup> / <sub>21</sub> | <p>पत्रावली पेश की वकील प्राची उपस्थित।<br/>         पं. मं. का कामकाज पर ही अतः पत्रावली पुनः न्याय कार्यालय दिनांक 27-12-21 को पेश की।</p> <p style="text-align: center;"> <br/> <b>रीडर</b><br/> <b>न्यायालय कलक्टर</b><br/> <b>एवं जिला मजिस्ट्रेट</b><br/> <b>जयपुर</b> </p>  |  |
| 27 <sup>12</sup> / <sub>21</sub> | <p>पत्रावली पेश की वकील प्राची उपस्थित।<br/>         अप्रार्थी की ओर से पत्रावली पेश किया।<br/>         लक्ष होल अवर जारी ही अतः पत्रावली का लक्ष दिनांक 1-2-22 को पेश की।</p> <p style="text-align: center;"> <br/> <b>जिला मजिस्ट्रेट</b><br/> <b>(कलक्टर) जयपुर</b> </p>  |  |
| 1-2-2022                         | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्राची उपस्थित है। वकील प्राची ने प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाने का कथन करते हुए नोट प्रैस किया है। अतः वकील प्राची के नोट प्रैस किये जाने से धारा 14 सरफेशी एक्ट के प्रार्थना को इसी स्तर पर स्थायित किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम है।</p> <p style="text-align: center;"> <br/> <b>जिला मजिस्ट्रेट</b><br/> <b>(कलक्टर) जयपुर</b> </p>   | <p>Note Bress<br/> <br/>         01/02/2022</p> |